This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 / 05 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 27 अगस्त, 2024

संख्याः पर (एपी–बी)ए(3)–1 / 2015.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित तारीख 07–09–1971 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन

(स्टाफ) रैग्यूलेशनज, 1971 के रैग्यूलेशन 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रुप–सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रुप–सी (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

एम0 सुधा देवी, भा0प्र0से0,
सचिव (कार्मिक)।

———————

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रुप–सी (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नामः** कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)

2. **पद (पदों) की संख्याः** 11 (ग्यारह)

3. **वर्गीकरणः** ग्रुप–सी

4. **वेतनमानः**

(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार, पे–मैट्रिक्स के लेवल–4 (₹ 20600-65500)

(ii) संविदा कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे–मैट्रिक्स के लेवल–4 के प्रथम कोष्ठ का 60 % (साठ प्रतिशत) (₹ 12360/-):

5. **"चयन" पद अथवा "अचयन" पदः** अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयुः** 18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणः––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः

(क) अनिवार्य अर्हता(एं):

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए ।

या

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं सहित समय–समय पर महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (भारत सरकार) द्वारा यथा अधिसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) में एक / दो वर्ष का डिप्लोमा / प्रमाण पत्र या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमाः

परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल / संस्थान से अवश्य उत्तीर्ण की होः

परन्तु यह और कि यह शर्त स्थायी हिमाचल निवासियों के लिए लागू नहीं होगी।

(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता होः

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने से छूट होगी और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बजाय उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन0आई0वी0एच0), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0) लुधियाना के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगेः

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण–परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण.–पद ''दिव्यांगजन'' के अंतर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कम्प्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होंगे।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं):

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:**

आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता : हां, जैसा कि स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान है।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः**

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर / सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. **भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेंण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः**

(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) बीस प्रतिशत नियमित वर्ग–IV कर्मचारियों, जो 10+2 की अर्हता रखते हों में से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीमित सीधी भर्ती द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या दैनिक भोगी अथवा संविदा आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(iii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. **प्रोन्नति, सैकण्डमैन्ट, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकण्डमैन्ट / स्थानान्तरण किया जाएगाः**

(i) बीस प्रतिशत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियमित वर्ग–IV कर्मचारियों, जो 10+2 की अर्हता रखते हों में से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीमित सीधी भर्ती द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या दैनिक भोगी आधार पर या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। पात्र वर्ग–IV कर्मचारियों को अंग्रेजी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति या हिन्दी टंकण में बीस शब्द प्रति मिनट की हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा भी अर्हित करनी होगी।

(ii) दस प्रतिशत वर्ग–IV कर्मचारी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उीर्ण की हो, में से प्रोन्नति द्वारा और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु इस प्रकार कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के रूप में प्रोन्नत वर्ग–IV कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण परीक्षा अर्हित करनी होगी जिसका संचालन संबद्ध विभाग द्वारा

किया जाएगा और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा विस्तारित कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि में भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) से वर्ग–IV पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र वर्ग–IV कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना अनुरक्षित की जाएगीः

परन्तु कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु भर्ती रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः–

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, और आठवां	सीधी भर्ती
पांचवां और दसवां	सीमित सीधी भर्ती
नौवां	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण.––रोस्टर, प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि विहित प्रतिशतता प्राप्त नहीं हो जाती है जिसके पश्चात् रिक्त बिन्दु को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा बिन्दु सम्बन्धित हैः

(I) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और

		विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे। **स्पष्टीकरण.**––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दि हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12.	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः**	विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समितिः जैसे कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित किया जाए
13.	**भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एच पी पी एस सी) से परामर्श किया जाएगाः**	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14.	**सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा।**	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः सीधी भर्ती की दशा में पद पर नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान / कम्पयूटर एपलिकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) / सूचना पद्धति (आई.पी.) का 70% पाठयक्रम तथा व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क़ संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः

(I) संकल्पनाः (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण करने हेतु सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जानी है।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को प्रतिमास ₹12360/- समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लेवल–4 के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) होगा] संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कम्पयूटर विज्ञान / कम्पयूटर एपलिकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) / सूचना पद्धति (आई.पी.) का 70% पाठ्यक्रम तथा व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को प्रतिमास ₹12360/- समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो तत्स्थानी संवर्ग के पे–मैट्रिक्स के लेवल–4 के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) होगा] संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से 45 (पैंतालीस) दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा

प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 45 (पैंतालीस) दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु, पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि

उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों, आदि के लिए हकदार होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्तिः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–"ख"

कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप

यह करार श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री श्री.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम प्रतिमास ₹ 12,360 / – होगी ।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से 45 (पैंतालीस) दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो वहां उसके

नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु, पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 / सी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AP-B)A(3)-1/2015, dated 27-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th August, 2024

No. Per (AP-B)A(3)-1/2015.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of article 318 of the Constitution of India read with Regulation 8 of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Staff) Regulations, 1971 notified on 07-09-1971, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Office Assistant (IT), Group-C (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Public Service Commission as per Annexure "A" attached to this Notification, namely:—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Junior Office Assistant (IT), Group-C (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh.

By order,

M. SUDHA DEVI, IAS
Secretary (Personnel).

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR OFFICE ASSISTANT (INFORMATION TECHNOLOGY), GROUP-C, IN THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

1.	**Name of the Post:**	Junior Office Assistant (IT)
2.	**Number of post(s):**	11 (Eleven)
3.	**Classification:**	Group-C
4.	**Scale of Pay:**	(a) Pay Band for regular incumbent(s): Level 4 of the pay matrix (₹20600-65500) as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(b) Emoluments for contract Employee(s):

60% of the first cell of the level 4 of pay matrix (₹12,360/-) as per the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5.	**Whether "Selection" post or "Non-Selection" post:**	Non-Selection
6.	**Age for direct recruitment:**	Between 18 to 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/ she was appointed as such he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/ Autonomous Bodies who are/ were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting application or notified to the employment Exchanges, as the case may be.

7.	**Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):**	(a)	Essential Qualification(s):
			(i) Should have passed 10+2 Examination from a recognized Board of School Education/ University. OR Matriculation from recognized Board of School Education with one/two year's Diploma/ Certificate from an Industrial Training Institute (ITI) in Information Technology (IT) & Information Technology Enabled Sectors (ITES) as notified by Director General of Employment & Training (Govt. of India) from time to time or three years Diploma in Computer Engineering/Computer Science /IT from a Polytechnic as approved by All India Council for Technical Education (AICTE): Provided that the candidate must have passed matriculation and 10+2 from any school/Institution situated within Himachal Pradesh. Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis. Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi: Provided that visually impaired persons selected/ recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/ Computer Application/ Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned

		through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training, for which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training: Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test. **Explanation:—**The term, 'differently abled persons' does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from typing. The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the skill test Norms on computers. (b) DESIRABLE QUALIFICATION(S): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."
8.	**Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):**	Age: Not Applicable *Educational Qualification*: Yes, as prescribed against Column No. 11.
9.	**Period of probation, if any:**	(a) Two years subject to such further

		extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
		(b) No probation in case of appointment on Contract basis/ tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
10.	**Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method:**	(i) 70% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
		(ii) 20% by Limited Direct Recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials of Himachal Pradesh Public Service Commission possessing 10+2 qualification, through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission, having five years regular service or regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be."
		(iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11.	**In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer/ Grades for which promotion/ secondment/ transfer is to be made:**	(i) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials of Himachal Pradesh Public Service Commission possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission, having five years regular service or regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis. The eligible Class-IV officials will also qualify the typing

test with the minimum speed of 25 words per minute in English Typewriting OR 20 words per minute in Hindi Typewriting on Computer to be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination from a recognized Board of School Education/ University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that the Class-IV officials so promoted as JOA(IT) will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting on computer within the probation period which will be conducted by the concerned Department and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fails to qualify the typing test within the prescribed period, his probation will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate still fails to qualify the typing test in the extended period, he will be reverted from JOA(IT) to Class-IV post.

For the purpose of promotion, a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be maintained:

Provided that for filling up the posts of JOA(IT), the following 10 points recruitment roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th & 8th	Direct Recruit
5th & 10th	Limited Direct Recruit
9th	Promotee

Note:—The roster will be rotated after every 10 points till the prescribed percentage if achieved whereafter the point vacated will be filled up from the respective category to which the point belongs.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc

		appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?**	Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13.	**Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission(HPPSC) is to be consulted in making recruitment:**	As required under the Law.
14.	**Essential requirement for a direct recruitment:**	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	**Selection for appointment to the post by direct recruitment:**	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/ Computer Application/ Information Technology Enabled Sectors (ITES)/ Information Practices (IP) and practical test or skill test the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission.
15-A	**Selection for appointment to the post by contract appointment:**	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: (I) **CONCEPT:** (a) Under this policy the Junior Office Assistant (IT) in the office of Himachal Pradesh Public Service Commission will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis, the Secretary, H.P. Public Service Commission shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

(b) Post falls within the purview of Himachal Pradesh Public Service Commission. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission after the approval of Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission will advertise the detail of the vacant post(s) in two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility condition as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹12,360/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/ Computer Application/ Information Technology Enabled Sectors (ITES)/ Information Practices (IP) and practical test or skill test the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Junior Office Assistant (information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹12360/- per month (which shall be 60 % of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of the surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Un-authorized absence from the duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against post carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of test is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be

		declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
		(g)Contract appointee will be entitled to TA /DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
		(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as details in this column. The employees group insurance scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to the contract appointee(s).
16.	**Reservation:**	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	**Departmental Examination:**	Not Applicable
18.	**Power to relax:**	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s)

of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Office Assistant (IT) and the Government of Himachal Pradesh through Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission.

(Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this_____day of_____in the year _____ between Sh./ Smt./ Miss _____s/o/ d/o Shri_____, r/o _____contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor, Himachal Pradesh through Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission (here-in-after called the SECOND PARTY)

WHEREAS the Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Junior Office Assistant (IT) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Junior Office Assistant (IT) for a period of one year commencing on day of.....and ending on the day of.....It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ information notice shall not be necessary;

   Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission shall issue a concerned certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only this period of the contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 12360/- per month.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be

entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Un-authorized absence from the duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

   Provided that he/ she shall submit the certificate of his/her illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Junior Office Assistant (IT) appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contractual Appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale(s).

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

In witness the first party and second party have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1.....
.....
.....
(Name and Full Address)
2.....
.....
.....
(Name and Full Address) (Signature of the First party)

1.....
.....
.....
(Name and Full Address)
.....
.....
.....
(Name and Full Address) (Signature of the Second party)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती पेशी : 04–10–2024

प्रीतम सिंह पुत्र महाल सिंह, निवासी द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल द्रमण में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम महाल सिंह पुत्र जट है जबकि महाल द्रमण के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम महालो पुत्र जट दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने पिता के नाम को सही करके महालो उपनाम महाल सिंह पुत्र जट से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 04–10–2024

कुलदीप चन्द पुत्र नीरू राम, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता नीरू राम पुत्र भगत मैहरा, निवासी चड़ी का देहांत दिनांक 17–10–1971 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 04–10–2024

रेवा देवी विधवा हेम राज, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके ससुर रूमाल सिंह पुत्र मंगतू, निवासी धनोटू का देहांत दिनांक 15–04–1984 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुडम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डुडम्ब के रिकार्ड में मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती पेशी : 04–10–2024

सुदेश कुमार पुत्र चन्दू लाल, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल प्रसेल में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुदेश कुमार पुत्र चन्दू लाल है जबकि महाल मंझला धनोटू के राजस्व अभिलेख में उक्त का नाम सुरेश कुमार पुत्र चन्दू पुत्र सावनमल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में उक्त नाम को सही करके सुरेश कुमार उपनाम सुदेश कुमार पुत्र चन्दू पुत्र सावनमल से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 04–10–2024

संदेश कुमारी पत्नी नेक चन्द, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री पुष्पा देवी का देहांत दिनांक 20–11–2008 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुडम्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डुडम्ब के रिकार्ड में मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न

आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती पेशी : 04–10–2024

महिन्द्र सिंह पुत्र दलीपा राम, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल मंझला धनोटू में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम महिन्द्र सिंह पुत्र दलीपा राम पुत्र जैसी है जबकि महाल मंझला धनोटू के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम महिन्द्र सिंह पुत्र प्रभदयाल पुत्र जैसी दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उपरोक्त महाल में अपने पिता के नाम को सही नाम करके प्रभदयाल उपनाम दलीपा राम पुत्र जैसी से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति पेशी : 05–10–2024

संजय कुमार, अजय कुमार, विनय कुमार पुत्र व ममता कुमारी पुत्री ओम प्रकाश, निवासीगण चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––महाल चड़ी में जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उनके पुर्वजों के मुताबिक शजरा नस्ब व महाल ठन्डोल, उप–तहसील भवारना की मिसल हकीयत बन्दोबस्त में उनकी सही जाति व गोत क्रमशः अचारज व परासर है परन्तु महाल व मौजा चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उनकी जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व आर्य का इन्द्राज हो गया है जोकि गलत इन्द्राज है। प्रार्थीगण उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व आर्य के बजाय अचारज व परासर से दर्ज करवाना चाहते है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे यदि कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 05–10–2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

तारीख पेशी : 05–10–2024

देश राज पुत्र वचित्र सिंह, निवासी गांव भलून्दर, डा0 लाहडू, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल आलमपुर, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव भलून्दर, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री देश राज पुत्र वचित्र सिंह, निवासी गांव भलून्दर, डा0 लाहडू, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 15–01–1970 को गांव भलून्दर, डा0 लाहडू, उप–तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहडू में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को देश राज पुत्र वचित्र सिंह, निवासी गांव भलून्दर, डा0 लाहडू, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म दिनांक 15–01–1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत लाहडू में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 05–10–2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 05–10–2024

मीरा देवी शर्मा पुत्री स्व0 श्री सुन्दर दास, निवासी गांव जीहण, डा0 गन्दड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव जीहण, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव जीहण ऊपरली, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया मीरा देवी शर्मा पुत्री स्व0 श्री सुन्दर दास, निवासी गांव जीहण, डा0 गन्दड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 20–05–1949 को गांव जीहण, डा0 गन्दड, उप–तहसील आलमपुर में हुआ है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सकोह में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मीरा देवी शर्मा पुत्री स्व0 श्री सुन्दर दास, निवासी गांव जीहण, डा0 गन्दड मरेरा, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म दिनांक 20–05–1949 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सकोह में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 05–10–2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 05–10–2024

कर्म चन्द पुत्र रामा राम, निवासी गांव व डा0 कूहण, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता गांव कूहण, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव कूहण, मौजा एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी कर्म चन्द पुत्र रामा राम, निवासी गांव व डा0 कूहण, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 03–04–1968 को गांव कूहण में हुआ है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कूहण में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कर्म चन्द पुत्र रामा राम, निवासी गांव व डा0 कूहण, उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म दिनांक 03–04–1968 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कूहण में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 05–10–2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

राजेश कुमार पुत्र श्री लेख राज, निवासी गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969,

राजेश कुमार पुत्र श्री लेख राज, निवासी गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 24–12–1971 को गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के ओदश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 08–10–2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

शशी भूषण पुत्री श्री लेख राज, निवासी गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969,

शशी भूषण पुत्री श्री लेख राज, निवासी गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 24–12–1980 को गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के ओदश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 08–10–2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 21–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

स्नेह लता पुत्री श्री लेख राज, निवासी गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969,

स्नेह लता पुत्री श्री लेख राज, निवासी गांव बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 17–03–1978 को गांव

बुहली कोठी, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के ओदश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 08–10–2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11 / 2024 तारीख पेशी : 04–10–2024
किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती मीरां देवी पुत्री श्री रत्न चन्द, वासी गांव मांझा वूहला, डा0 वच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

श्रीमती मीरां देवी पुत्री श्री रत्न चन्द, वासी गांव मांझा वूहला, डा0 वच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05–12–1969 को गांव मांझा वूहला, डा0 वच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वच्छवाई, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वच्छवाई को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 05–12–1969 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04–10–2024 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती मीरां देवी पुत्री श्री रत्न चन्द, वासी गांव मांझा वूहला, डा0 वच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वच्छवाई, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप–स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत वच्छवाई को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02–09–2024 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : /N T/Birth/2023

श्री मंगल सिंह पुत्र वीर सिंह, गांव वलियारा, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तिथि दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

श्री मंगल सिंह पुत्र वीर सिंह, गांव वलियारा, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका नाम व जन्म तिथि 08–01–1980 को गांव वलियारा, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर में हुआ है। आवेदक अपने नाम व जन्म तिथि 08–01–1980 को ग्राम पंचायत पोलिया में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 07–10–2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2024 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 08–10–2024

अजीत सिंह कटोच पुत्र नरपाल सिंह कटोच, निवासी महाल गदियाडा, डा0 डरोह, उप–तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी अजीत सिंह कटोच पुत्र नरपाल सिंह कटोच, निवासी महाल गदियाड़ा, डा0 डरोह, उप–तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम अजित सिंह कटोच व उनके पिता का असल नाम नरपाल सिंह कटोच है। उसके अन्य

अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल गदियाड़ा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दलजीत चन्द पुत्र नारायण चन्द पुत्र विजय सिंह दर्ज कागजात माल है व प्रार्थी के पिता का नाम नारायण चन्द पुत्र विजय सिंह दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल गदियाड़ा (डरोह) के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करके दलजीत चन्द के बजाये दलजीत चन्द उपनाम अजीत सिंह कटोच व प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती करके नारायण चन्द के बजाए नारायण चन्द उपनाम नरपाल सिंह कटोच पुत्र विजय सिंह करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08–10–2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————

ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री प्रीतम चन्द पुत्र चरन सिंह, महाल शामनगर, डाकघर चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल शामनगर, डाकघर चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री प्रीतम चन्द पुत्र चरन सिंह, महाल शामनगर, डाकघर चनौर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस कार्यायाल में दिनांक 11–06–2024 को प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल शामनगर में प्रितम सिंह पुत्र चरन सिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र, आधार कार्ड, राशन व परिवार नकल में प्रार्थी का सही नाम प्रीतम चन्द पुत्र चरन सिंह है जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे साधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–09–2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में प्रीतम चन्द के नाम की दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर / एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 28–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 05/T/C/2024 तारीख दायरा : 13–06–2024 तारीख पेशी : 24–07–2024

वलवन्त सिंह पुत्र रतन चन्द, वासी महाल दड़व, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल दड़व में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल दड़व में रीटू पुत्र रतन सिंह दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड पैन कार्ड, व नकल रजिस्टर परिवार नकल में वलवन्त सिंह पुत्र रतन चन्द दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल दड़व में रीटू उपनाम वलवन्त सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र रामसरन के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23–10–2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–06–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती यशवन्ती पुत्री श्री केशव राम, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती यशवन्ती पुत्री श्री केशव राम, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसका जन्म 07–10–1970 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है । इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन कवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती यशवन्ती पुत्री श्री केशव राम, निवासी गांव व डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 07–10–1970 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती श्रीमती यशवन्ती पुत्री केशव राम की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–10–2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री विशन ग्याबक पुत्र श्री भीम कुमार, मुल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव व डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री विशन ग्याबक पुत्र श्री भीम कुमार, मुल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव व डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री अंजली की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अंजली का जन्म 08–04–2017 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत हरीपुर के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहता है, इस बावत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन कवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी अंजली पुत्री श्री विशन ग्याबक की जन्म तिथि 08–04–2017 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी अंजली पुत्री श्री विशन ग्याबक की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–10–2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत हरीपुर के जन्म तथा मृत्यु अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

CHANGE OF NAME

I, Usha Devi w/o Sh. Pinkeshwar, r/o Village Kalri, P.O. Nakrana, Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Banke Bihari Lal to Keshav Thakur for all purposes in future. Please note.

USHA DEVI
w/o Sh. Pinkeshwar,
r/o Village Kalri, P.O. Nakrana,
Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).

————————

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 अगस्त, 2024

संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–1 / 2023.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–1 / 2014, तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले यदि किसी व्यक्ति को इन की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव है / हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इन्हें लिखित में प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो / हों, पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:–

प्रारुप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (बारहवां संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 16 का संशोधन––**हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 16 में,–

(क) उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(2) अधिनियम की धारा 15–क की उप–धारा (2) या धारा 16 के खंड (क) या धारा 30 की उप–धारा (1) या धारा 30–क (धारा 30–क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से परे) या भू–सम्पदा परियोजना के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न यथाविनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी:––

क्रम संख्या	संघटक	इकाई	नगर निगम सीमाएं		नगर निगम की सीमाओं से बाहर अर्थात् साथ लगती (लगी हुई) योजना / विशेष क्षेत्र सीमाएं	
			आवासीय उपयोग रु0	आवासीय उपयोग से भिन्न रु0	आवासीय उपयोग रु0	आवासीय उपयोग से भिन्न रु0
1	2	3	4	5	6	7
1.	भवन निर्माण योजना की अनुज्ञा / मंजुरी / संशोधन के लिए फीस।	वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र)	40.00	80.00	30.00	60.00
2.	परिवर्धन / परिवर्तन / पुनर्विधिमान्यता के लिए फीस।	वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र)	30.00	60.00	20.00	40.00
3.	भूमि के उप–खण्ड (सब–डिवीजन) के अनुमोदन के लिए फीस।	वर्ग मीटर (प्लाट क्षेत्र)	30.00	60.00	20.00	40.00
4.	अंतरिम विकास योजना / विकास योजना में यथा–विहित उपयोग से प्रस्तावित भूमि उपयोग में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए फीस या स्थल के प्रारम्भिक उपयोग से जहां	वर्ग मीटर (प्लाट क्षेत्र)	50.00	100.00	40.00	80.00

	अंतरिम विकास योजना / विकास योजना तैयार नहीं की गई।					
5.	विद्यमान भवन उपयोग परिवर्तन के लिए फीस।	वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र)	40.00	80.00	30.00	60.00

टिप्पणः––

1. अतिशेष शहरी स्थानीय निकाय अर्थात् नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायतें अपने साथ लगती हुई योजना / विशेष क्षेत्र सीमाओं के साथ उपरोक्त विहित दरों का क्रमशः नब्बे (90) प्रतिशत और अस्सी (80) प्रतिशत की दर से फीस उद्ग्रहण करेंगी।

2. राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों वाले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को उपरोक्त संघटकों के अधीन संशोधित और बढ़ी हुई एकात्मक फीस लगाने की स्वतंत्रता होगी, परन्तु फीस नगरपालिकाओं (एम सी) के लिए निर्धारित फीस से कम नहीं होगी।

3. जनजातीय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (स0 ए0 डी0 ए0) के रूप में नामनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्तम्भ संख्या 6 एंव 7 के अधीन उपरोक्त विहित दरों के साठ (60) प्रतिशत की दर से फीस उद्ग्रहण करेंगी।

4. अन्य समस्त अतिशेष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्तम्भ संख्या 6 एवं 7 के अधीन उपरोक्त विहित दरों के अस्सी (80) प्रतिशत की दर से फीस उद्ग्रहण करेंगी।

5. फोर–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग की नियंत्रण चौड़ाई से सौ मीटर की दूरी के भीतर प्रत्यक्षतः लगते और आने वाले समस्त प्लाटों के लिए अन्य विहित फीस क्रमशः एक सौ पचास प्रतिशत (150%), एक सौ तीस प्रतिशत (130%) और एक सौ बीस प्रतिशत (120%) की दर से प्रभारित की जाएगी।

6. समस्त योजना अनुज्ञा मामलों के लिए जहां हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गई है, वहां उपरोक्त विहित एक सौ पचास प्रतिशत (150%) से प्रभारित की जाएगी चाहे ऐसे मामले उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, 4 और 5 में प्रवर्ग के अधीन आते है।

7. सौ वर्ग मीटर तक के आवासीय उपयोग क्षेत्र वाले प्लाट हेतु समस्त भवन योजना अनुज्ञा मामलों को उपरोक्त यथाविहित समस्त फीस से छूट दी जाएगी।

8. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कुटुम्बों से, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और सरकार द्वारा सौ वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र तक समय–समय पर अधिसूचित किए गए सामाजिक आवास स्कीम के आवेदकों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। यह लाभ किसी कुटुम्ब द्वारा केवल एक बार लिया जाएगा। तथापि, यदि प्लॉट क्षेत्र सौ वर्ग मीटर से अधिक है, तो अतिरिक्त क्षेत्र पर फीस प्रभारित की जाएगी।

(ख) उप–नियम (3) के पश्चात् नया उप–नियम (4) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

(4) हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अधीन अनिवार्यता (वास्तविकता) प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी :–

क्रम संख्या	प्लाट क्षेत्र (वर्ग मीटर)	फीस(रु0)
1.	2500 तक	25000 / —
2.	2500 से 10,000	50000 / —
3.	10,000 के ऊपर	1,00,000 / —

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Tcp-A(3)-1/2023, dated 27-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 27th August, 2024

No. TCP-A(3)-1/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified *vide* this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014, dated 1-12-2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1st December, 2014, and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) with regards to the same, he/she may send the same in writing to the Principal Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government of the Himachal Pradesh, before finalizing these draft rules, namely :—

Draft Rules

1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Twelth Amendment) Rules, 2024.

(ii) These rules shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 16.—In rule 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'),—

(a) For sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Every application submitted under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of Section 30 or Section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) of the Act or the Real Estate Project shall be accompanied by fee as specified below:—

Sl. No.	Component	Unit	Municipal Corporation Limits		Outside Municipal Corporation Limits i.e. adjoining Planning/Special Area Limits	
			Residential Use Rs.	Other than Residential Use Rs.	Residential Use Rs .	Other than Residential Use Rs.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fee for Building permission/anction /revision of building plan.	M^2 (Built-up Area)	40.00	80.00	30.00	60.00
2.	Fee for addition/ alteration/ re-validation.	M^2 (Built-up Area)	30.00	60.00	20.00	40.00
3.	Fee for approval of Sub-division of land.	M^2 (Plot Area)	30.00	60.00	20.00	40.00
4.	Fee for Change of Land Use from the use as prescribed in the Interim Development Plan/ Development Plan to propose land use or from original use of site, where Interim Development Plan/ Development Plan not prepared.	M^2 (Plot Area)	50.00	100.00	40.00	80.00
5.	Fee for Change of Existing Building Use.	M^2 (Built-up Area)	40.00	80.00	30.00	60.00

Note:—

1. The remaining Urban Local Bodies i.e. Municipal Councils and Nagar Panchayats along with their adjoining Planning/Special Area Limits shall levy fee @ 90% and 80% of the above prescribed rates respectively.

2. The Special Area Development Authorities (SADAs) comprising of the Industrial Areas of the State shall have the liberty to levy amended and enhanced unitary fee under above components provided that the fee shall not be less than that for MCs.

3. The Special Area Development Authorities designated as Tribal SADAs shall levy fee @ 60% of the above prescribed rates under column No. 6 & 7.

4. All other remaining SADA shall levy fee @80% of the above prescribed rates under column No. 6 & 7.

5. For all plots directly abutting and falling within 100 mts distance from control line of 4-Lane National Highway, other National Highways and State Highways, the above prescribed fees shall be charged @ 150%, 130% and 120% respectively.

6. For all planning permission cases wherein permission under section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reform Act, 1972 has been obtained the above prescribed fees shall be charged @ 150%, even if such cases fall under category at Sl. No. 1, 2, 4 and 5 above.

7. All building Planning permission cases for Residential Use having plot area up to 100 Sq mts, shall be exempted from all the fees as prescribed above.

8. No fee shall be charged from Below Poverty Line (BPL) families, Economically Weaker Sections (EWS) of the society and from the applicants of Social Housing Schemes notified by the Government from time to time upto 100 M^2 plot area. This benefit may be availed by a family only once. However, if the plot area is above 100 M^2, the fee shall be charged on the additional area."

(b)) After sub rule (3), the new sub rule (4) shall be added, namely:—

"(4) Every application submitted for grant of Essentiality Certificate under the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 shall be accompanied by fee as specified below:—

Sl. No.	Plot Area (m^2)	Fees (Rs.)
1.	Upto 2500	25000/-
2.	Above 2500 to 10,000	50000/-
3.	Above 10,000	1,00,000/-

By order

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th September, 2024

No. TCP-A(3)-1/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified *vide* this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I, dated 01-12-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on Ist December, 2014, which are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he may send the written objections or suggestions to the Principal Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Official Gazette of Himachal Pradesh;

The objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :—

DRAFT RULES

1. Short title:—

(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Thirteenth Amendment) Rules, 2024.

(ii) These rules shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Appendix-1:—

In Appendix-1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules') after serial number II table the following serial number shall be added, namely:—

II (a) Special Commercial Buildings:

Apart from the regulations as prescribed for Commercial Use in above table the following regulations shall be applicable for 'Special Commercial Buildings' including Tourism Units.

(1) Enhanced FAR provisions for Special Commercial Buildings including Tourism Units:

Sl. No.	Plot area (M^2)	Maximum Permissible FAR			Maximum Ground Coverage (%)	Maximum Building Height (M)	Maximum No of Storeys
		Base FAR	Premium FAR	Total FAR			
1.	Above 4001 up to 10000	3.5	1.5	5	40%	40	13
2.	10001 and above	4	1	5	35%	50	14

Note:—

The above prescribed maximum permissible FAR provisions shall be applicable subject to the following conditions:

(i) In Plain areas these regulations shall be applicable only if the slope of land is < 15° and the abutting road width i.e. RoW is more than 18.0 Mts.

(ii) In Hilly areas these regulations shall be applicable only if the slope of land is < 20° and the abutting road width i.e. RoW is more than 15.0 Mts.

(iii) The Geological Investigation Report and Soil Testing along with the detailed Structural Design Report duly vetted/audited by Third Party Agency/Institution shall be mandatory.

(iv) The setback and parking norms and other regulations as already prescribed above shall be applicable.

(v) Such cases shall be considered by the Competent Authority on special grounds only.

Enhanced FAR provisions for Central Business Districts and Transit Oriented Development Corridors including 4-Lane National Highways, National Highways and State Highways:

Sl. No.	Plot area (M^2)	Maximum Permissible FAR			Maximum Ground Coverage (%)	Maximum Building Height (M)	Maximum No. of Storeys
		Base FAR	Premium FAR	Total FAR			
1.	Above 4001 up to 10000	5	2	7	40%	60	18
2.	10001 and above	5	2	7	35%	70	20

Note.—

The above prescribed maximum permissible FAR provisions shall be applicable subject to the following conditions:

(i) The enhanced FAR of 7 shall be permitted only in designated 'Central Business Districts' and 'Transit Oriented Development Corridors' including the 4-Lane National Highways, other National Highways and State Highways.

(ii) In Plain areas these regulations shall be applicable only if the slope of land is < 10° and the abutting road width i.e. RoW is more than 24.0 Mts.

(iii) In Hilly areas these regulations shall be applicable only if the slope of land is < 15° and the abutting road width i.e. RoW is more than 18.0 Mts.

(iv) The Geological Investigation Report and Soil Testing along with the detailed Structural Design Report duly vetted/audited by Third Party Agency/Institution shall be mandatory.

(v) The setback and parking norms and other regulations as already prescribed above shall be applicable.

(vi) Such cases shall be considered by the Competent Authority on special grounds only.

3. Amendment of Appendix-2:—

In Appendix-2 of the said rules,

(a) In place of the table at Regulation 3, the following table shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Type of Industry	Plot area in M^2	Minimum Set Back in Metres				Max. FAR	Max. Height
			Front	Left	Right	Rear		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Small Scale Industries	150 to 500	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	There shall be no. upper limit for height of structure of Industrial use, which shall be flexible as per the requirement of Industrial Enterprise. However the total floor area should be within the prescribed FAR.
2.	Services/ Light scale Industries	Above 500 to 1000	3.00	1.50	1.50	1.50	4.00	
3.	Medium Scale Industries/ flatted factory	Above 1000 to 2500	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	
		Above 2500 to 5000	5.00	2.50	2.50	2.50	3.00	
4.	Large and Heavy Scale Industries/ flatted factory	Above 5000 to 10000	7.00	4.00	4.00	4.00	2.50	
		Above 10000	8.00	5.00	5.00	5.00	2.00	

Explanation.—Notwithstanding anything contained in Interim Development Plan and Development Plans prepared for Planning Areas and Special Areas and in areas referred under Appendix-2 appended to these Rules, the provisions contained in this regulation shall apply.

(b) after regulation 4, the following Regulation shall be added, namely:—

"5. Hostels/Dormitory:—

Notwith standing anything contained any Development Plan/ Interim Development Plan for the time being in force, as applicable in respect of any planning or special area notified under the statutory provisions of the

Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 construction of Hostels/dormitory facilities in the Industrial Zone shall be allowed and regulations of the same shall be as per the regulations of the concerned Interim Development Plan and Development Plans."

By order,

Sd/-
(DEVESH KUMAR),
Principal Secretary (TCP).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।